प्रेस नोट
दिनांक 26.05.2024

थाना कौड़िया पुलिस द्वारा लड़की को बहला–फुसलाकर भगा ले जाने के वांछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार–

कार्यवाहीः–

श्रीमान पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री राधेश्याम राय के पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी करनैलगंज श्री चन्द्रपाल शर्मा के नेतृत्व में थाना कौड़िया पुलिस टीम द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0–127/24, धारा 363,366 भादवि से सम्बन्धित वांछित अभियुक्त रामगोपाल सोनी को मल्लापुर सेमरा मोड़ थाना कौड़िया के पास से गिरफ्तार कर लिया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण–

दिनांक 21.05.2024 को थाना कौड़िया क्षेत्र के रहने वाले एक व्यक्ति द्वारा थाना कौड़िया में लिखित तहरीर दी गयी कि विपक्षी रामगोपाल सोनी अपने सहयोगी वूनी की मदद से उनकी बहन को बहला–फुसला कर भगा ले गया है। वादी की तहरीर पर थाना कौड़िया में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया था जिसकी विवेचना उ0नि0 प्रशान्त गुप्ता द्वारा की जा रही थी। विवचेना के दौरान दोषी पाए गए आरोपी अभियुक्त रामगोपाल सोनी को थाना कौड़िया पुलिस द्वारा आज दिनांक 26.05.2024 को गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध थाना कौड़िया पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त–

01. रामगोपाल सोनी पुत्र संतोष कुमार सोनी नि0 ग्राम कोचवा थाना कौड़िया जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग–

01. मु0अ0सं0–127/24, धारा 363,366 भादवि थाना कौड़िया जनपद गोण्डा।

गिरफ्तार कर्ता टीम–

01. उ0नि0 प्रशान्त गुप्ता।
02. का0 हरिओम शर्मा

मीडिया सेल, गोण्डा।

प्रेस नोट
दिनांक 26.05.2024, थाना को0 कर्नलगंज ,
जनपद गोण्डा।

सोशल मीडिया पर जनपद का छवि धूमिल करने, भ्रामक असत्यापित अश्लीलता फैलाने व जनमानस को भ्रमित करने के उद्देश्य से आपत्तिजनक पोस्ट डालने के प्रकरण में 02 नफर अभियुक्त गिरफ्तार, 03 अदद मोबाइल फोन बरामद :-

कार्यवाही:-

पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी श्री राधेश्याम राय के पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी कर्नलगंज श्री चन्द्रपाल शर्मा के कुशल नेतृत्व में थाना कोतवाली कर्नलगंज व साइबर सेल की सयुक्त टीम द्वारा मु0अ0सं0- 228/2024, धारा 292 भादवि व 66ए आई0टी0 एक्ट का सफल अनावरण करते हुए प्रकाश में आये अभियुक्तगण 01. वीरेन्द्र प्रताप सिंह, 02. महादेव वर्मा को तहसील मोड़ कस्बा कर्नलगंज से गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 03 अदद मोबाइल फोन बरामद किया गया है।

घटना का संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 25.05.2024 को प्रभारी अधिकारी एम0सी0एम0सी0 लोकसभा समान्य निर्वाचन 2024, कार्यालय जिला निर्वाचन अधिकारी गोण्डा द्वारा थाना कोतवाली कर्नलगंज को लिखित सूचना दी कि सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर मीडिया हाउस से मिलता जुलता यूजर आई0डी0 नाम रखकर आमजनमानस को भ्रमित करने, भ्रामक असत्यापित तथ्य, अश्लीलता फैलाने व जनपद की छवि खराब करने एवं मतदान कार्यों में लगे कार्मिकों को हतोत्साहित करने के लिए वीडियों व पोस्ट शेयर की गई है। उक्त सूचना पर थाना कोतवाली कर्नलगंज पर मु0अ0सं0- 228/2024, धारा 292 भादवि व 66ए आई0टी0 एक्ट पंजीकृत किया गया था। पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल द्वारा प्रकरण को गंभीरता से लेते हुए अभियोग के शीघ्र अनावरण तथा अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु कोतवाली कर्नलगंज पुलिस व साइबर सेल को निर्देशित किया गया था , जिसके क्रम में आज दिनांक 26.05.2024 को थाना कोतवाली कर्नलगंज पुलिस व साइबर सेल की सयुक्त टीम द्वारा इलेक्ट्रानिक साक्ष्यों के आधार पर घटना में संलिप्त अभियुक्तों 01. वीरेन्द्र प्रताप सिंह व 02. महादेव मौर्या को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 03 अदद मोबाइल बरामद किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के विरूद्ध को0 कर्नलगंज पुलिस द्वारा वैधानिक कार्यवाही की गयी।

गिरफ्तार अभियुक्तगण-

01. वीरेन्द्र प्रताप सिंह पुत्र योगेन्द्र प्रताप निवासी कादीपुर थाना कोत0कर्नलगंज जनपद गोण्डा।
02. महादेव मौर्या पुत्र सुभाष चन्द्र मौर्या निवासी मोहद्दीहाता कस्बा व थानाकोत0 कर्नलगंज, जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग-

01. मु0अ0सं0- 228/2024, धारा 292 भादवि व 66ए आई0टी0 एक्ट थाना कोतवाली कर्नलगंज जनपद गोण्डा।

बरामदगी-

01. घटना में प्रयुक्त 03 अदद मोबाइल फोन बरामद ।

गिरफ्तार कर्ता टीम-

01. अति0प्र0नि0 शम्भू सिंह थाना कोतवाली कर्नलगंज, गोण्डा मय टीम।
02. साइबर सेल प्रभारी शादाब आलम मय टीम जनपद गोंडा।

मीडिया सेल, गोण्डा

प्रेस नोट
दिनांक 26.05.2024

परिवार परामर्श केन्द्र में 03 जोड़ा एक साथ रहने को हुआ राजीः-

गोण्डा। रविवार जनपद गोण्डा के रिजर्व पुलिस लाइन में आयोजित परिवार परामर्श केन्द्र में पुलिस अधीक्षक गोंडा श्री विनीत जायसवाल के निर्देशन में परामर्शदाताओं ने बिछुडे जोड़ो की समस्याओं को सुनकर उनका निराकरण किया गया तथा 03 जोड़े को समझा बुझाकर सुखी जीवन जीने हेतु राजी कर लिया गया ।

परिवार परामर्श केन्द्र में उपस्थिति सदस्यगण-

श्री गंगाधर शुक्ला, श्रीमती संतोष ओझा, श्री शशि भारती, श्री राजमंगल मौर्या, महिला थाना प्रभारी निरीक्षक श्रीमती अनीता यादव, म0का0 शाहिना बानो, म0का0 ज्योति राजभर आदि मौजूद रही।

मीडिया सेल, गोंडा।